

**आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर**

**श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा**  
**श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष**

**आ. अ. सं. 111 /इंदौर /2018**

**निर्धारण वर्ष : 2011-12**

सहायक आयकर आयुक्त 5 (1), इंदौर	बनाम	श्री सुधीर जैन, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एसीपीपीजे 7574 डी		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री के.जी.गोयल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री वीनस रावका, सीए

**आ. अ. सं. 538/इंदौर /2018**

**निर्धारण वर्ष : 2010-11**

आयकर अधिकारी 2 (1), उज्जैन	बनाम	श्री अनिल शर्मा, उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएलवाईपीएस 6949 एल		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री के.जी.गोयल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
प्रत्यर्थी की ओर से :	कोई नहीं

**आ. अ. सं. 275/इंदौर /2018**

**निर्धारण वर्ष : 2012-13**

सहायक आयकर आयुक्त 5 (1), इंदौर	बनाम	मे.सनशाईल पर्सनल केयर प्रा. लि., इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएबीसीआई 2227 एच		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री के.जी.गोयल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
प्रत्यर्थी की ओर से :	कोई नहीं

आ. अ. सं. 440/इंदौर /2017  
निर्धारण वर्ष : 2011-12

सहायक आयकर आयुक्त 1 (1), इंदौर	बनाम	मे.लखानी फूट केयर प्रा. लि., इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएसीएल 2904 पी		
अपीलार्थी की ओर से :	श्री के.जी.गोयल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि	
प्रत्यर्थी की ओर से :	कोई नहीं	

सुनवाई तिथि :	13.08.2019
उद्घोषणा तिथि :	14.08.2019

### आदेश

#### श्री मनीष बोर्ड, लेखा सदस्य द्वारा

ये अपीलें राजस्व द्वारा अलग-अलग निर्धारण वर्षों से संबंधित आयकर आयुक्त (अपील) के अलग-अलग आदेशों के विरुद्ध दाखिल की गई हैं ।

2. सुनवाई के दौरान, संबंधित निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इन अपीलों में कर प्रभाव विनिहित सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.टी द्वारा जारी अनुदेशों तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि में विभाग को ये अपीलें दाखिल नहीं करना चाहिए थी ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि अभिलेख पर कोई प्रतिकूल सामग्री लाकर इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके ।

4. हमने अभिलेख का अध्ययन किया है। हमने पाया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सं. 3/2018 दिनांक 11.07.2018 के अनुसार विभाग द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु अंतर्ग्रस्त विनिहित कर सीमा 20 लाख थी जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सं. 17/2019 दिनांक 08.08.2019 द्वारा संशोधित कर रु. 50 लाख कर दिया गया है तथा पूर्व परिपत्र सं. 3/2018 दिनांक 11.07.2018 के परिच्छेद सं. 5 की विसंगति को हटाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सं. 17/2019 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 268 ए के अधीन दी गई शक्तियों के अनुपालन में अधिकरण के समक्ष कोई अपील दाखिल नहीं की जानी चाहिए यदि कर प्रभाव रु. 50 लाख से अधिक नहीं है। इस संबंध में “कर प्रभाव” का अर्थ निर्धारित कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो प्रभार्य होता यदि कुल आय में से उन मुद्दों से संबंधित आय, जिनके विरुद्ध अपील दाखिल करना आशयित है, को घटाया गया होता। यह परिपत्र इसके अतिरिक्त कथन करता है कि कर में उस पर कोई ब्याज शामिल नहीं होगा, सिवाए उसके जहाँ ब्याज की प्रभार्यता स्वयं ही विवादाधीन है। हमने इसके अतिरिक्त पाया कि परिपत्र के परिच्छेद 13, जो निम्न रूप से उद्धृत है, में यह उल्लिखित है कि यह अनुदेश लंबित अपीलों पर भी लागू होगा।

*“ यह परिपत्र इसके आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय / अधिकरण के समक्ष दाखिल एसएलपी/अपीलों/प्रत्याक्षेपों/ संदर्भों पर लागू होगा और यह भूतलक्षी रूप से लंबित एसएलपी/अपीलों/प्रत्याक्षेपों/ संदर्भों पर लागू होगा। ऊपर परिच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट कर सीमा के नीचे की लंबित अपील को वापिस लिया जाए/ दबाव नहीं डाला जाए। ”*

4. आक्षेपित प्रकरणों में, हमने पाया कि विवादाधीन मुद्दों में कर प्रभाव रु. 50 लाख से अधिक नहीं है। इस तथ्य की दृष्टि में, अनुदेश के अनुसार राजस्व को इन अपीलों पर दबाव डालना अपेक्षित नहीं है। अतः, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपीलों को प्रकरण के गुणागुण पर विचार किए बिना आरंभतः खारिज करते हैं क्योंकि हमारे मत से सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र अधिनियम की धारा 268ए(1) के उपबंधों की दृष्टि में विभागीय अधिकारियों के लिए अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवनीत लाल झवेरी बनाम एएसी 56 आईटीआर 198

(एससी) प्रकरण में कथित दृष्टिकोण लिया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्टर ऑफ इंकम टैक्स बनाम एस.आर.एम.बी डेयरी फार्मिंग (प्रा) लि. के प्रकरण में सिविल अपील सं. 19650/2017 में राजस्व की अपील खारिज करते समय आयकर आयुक्त सेन्ट्रल-III बनाम सूर्या हर्बल्स लि. के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश न्यायपीठ निर्णय का अनुसरण किया है और अभिधारित किया है कि परिपत्र लंबित मामलों पर भी लागू होगा । तदनुसार, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपीलें पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करते हैं । यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्व विविध आवेदन (एमए) दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है यदि ये प्रकरण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आते हैं ।

5. परिणामतः, राजस्व की अपीलें खारिज की जाती है ।

आदेश 14.08.2019 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है ।

हस्ता/-  
(कुल भारत)  
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-  
(मनीष बोरड)  
लेखा सदस्य

दिनांक : 14.08.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि,  
गार्ड फाइल